(48)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3464 दिनांक 22/8/14

आदेश

आयोग के आदेश क्रमांक प. 1(3)(1)नपा / रानिआ / 94 / 262 जयपुर दिनांक 22.08.1994 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 19 ख (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 17(1)) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से सभी जिला कलक्टर्स को संबंधित जिला क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित / नाम निर्दिष्ट किया हुआ है।

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 8 के अनुसार जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियत्रंण में अपने जिले हेतु नगरपालिका निर्वाचन के लिए समग्र प्रभारी होगा। अतः आयोग यह निर्देश प्रदान करता है कि उक्त आदेश क्रमांक 262 / 22.08.1994 द्वारा पदाभिहित / नाम निर्दिष्ट जिला निर्वाचन अधिकारी ही उनके जिले में नगरपालिका निर्वाचनों के लिए जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी होंगे।

आज्ञा से,

21/8/14

(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3465-79 दिनांक : 22/8/14

प्रतिलिपि निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ भेजकर निवेदन हैं कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6(क) में तत्काल प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें और अधिसूचना की 50 प्रतियां आयोग को उपलब्ध करावें।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
5. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक भाग 6(क) में तत्काल प्रकाशित करें।
6. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
7. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
8. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
9. निजी सहायक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
10. समस्त अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
11. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

22/8

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर